रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936
No. 479] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 26, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2014

सा.का.नि. 665(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 3क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"3ख. सदस्य (प्रशासनिक), सदस्य (वित्त) और सदस्य (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से की जाएगी :

परंतु केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में सदस्य (प्रशासनिक), सदस्य (वित्त) और सदस्य (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के पदों पर नियुक्ति नियम 3क में निर्दिष्ट खोज समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी ।"।

3. मूल नियमों के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन सदस्य (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह लोक प्रशासन और प्रबंध का अनुभव रखने वाला कम से कम उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000 – 79000 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में पैनलित कोई अधिकारी नहीं हो :

परंतु केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में सदस्य (प्रशासनिक) के पद पर नियुक्ति नियम 3क में निर्दिष्ट खोज समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित पात्रता के अनुसार की जाएगी :--

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित कोई व्यक्ति हो, और

(ii) (क) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000 – 79000 रु. के वेतनमान में सदृश्य पद धारण करता हो ; या

(ख) वेतन बैंड -4 की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु0 में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या

(ग) समूह 'क' पद में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. या उससे ऊपर के वेतनमान में कम से कम पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4 में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु. के वेतनमान में होनी चाहिए ; और

(iii) लोक प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कम से कम अट्ठारह वर्ष का अनुभव रखता हो ।";

(ख) उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन सदस्य (वित्त) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह वित्त और वित्तीय योजना के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कम से कम उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000 – 79000 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में पैनलित कोई अधिकारी नहीं हो :

परंतु केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में सदस्य (वित्त) के पद पर नियुक्ति नियम 3क में निर्दिष्ट खोज समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित पात्रता के अनुसार की जाएगी :--

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित कोई व्यक्ति हो, और

(ii) (क) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000 – 79000 रु. के वेतनमान में सदृश्य पद धारण करता हो ; या

(ख) वेतन बैंड -4 की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या

(ग) समूह 'क' पद में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. या उससे ऊपर के वेतनमान में कम से कम पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4 में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु. के वेतनमान में होनी चाहिए ; और

(iii) अधिमानत: वित्तीय बाजार और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण का ज्ञान रखने वाला, वित्त और वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में कम से कम अट्ठारह वर्ष का अनुभव रखता हो ।"।

(ग) उपनियम (5), उपनियम (6) और उपनियम (7) को उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (5) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकन के पश्चात् उपनियम (4) स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन सदस्य (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह अधिमानत: राजमार्गों में योजना, संरचना के क्षेत्र और अवसंरचना सेक्टर की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के प्रबंध में अनुभव रखने वाला कम से कम उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000–79000 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में पैनलित कोई अधिकारी नहीं हो :

परंतु केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में सदस्य (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के पद पर नियुक्ति नियम 3क में निर्दिष्ट खोज समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित पात्रता के अनुसार की जाएगी :--

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित कोई व्यक्ति हो, और

(ii) (क) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में 67000 – 79000 रु. के वेतनमान में सदृश्य पद धारण करता हो ; या

(ख) वेतन बैंड – 4 की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या

(ग) समूह 'क' पद में वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. या उससे ऊपर के वेतनमान में कम से कम पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4 में 37400- 67000 रु. धन ग्रेड वेतन 10000 रु. के वेतनमान में होनी चाहिए ; और

(iii) अधिमानत: राजमार्गों में योजना, संरचना के क्षेत्र और अवसंरचना सेक्टर की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के प्रबंध का अनुभव रखता हो ।"।

[फा. सं. ए-12025/31/2013-ई-II (बी)]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 631(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 549(अ), तारीख 24 जुलाई, 2009, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 30 सितंबर, 2009, सा.का.नि. 483(अ), तारीख 8 जून, 2010, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 10 जनवरी, 2012 और सा.का.नि. 604(अ), तारीख 21 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2014

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 3A, the following rule shall be inserted, namely:—

"3B. The appointment to the posts of Member (Administration), Member (Finance) and Member (Public Private Partnership) shall be made through the Central Staffing Scheme:

Provided that in the event of non-availability of suitable officer under Central Staffing Scheme, the appointment to the posts of Member (Administration), Member (Finance) and Member (Public Private Partnership) shall be made after obtaining the recommendations of the Search Committee referred to in rule 3A.".

3. In the principal rules, in rule 4,—

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A person shall not be qualified for appointment as Member (Administration) under the Central Staffing Scheme, unless he is an officer empanelled as Joint Secretary with at least in Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67000-79000 having experience in the Public Administration and Management:

Provided that in the event of non-availability of suitable officer under Central Staffing Scheme, the appointment to the post of Member (Administration) shall be made after obtaining the recommendations of the Search Committee referred to in rule 3A, as per the following eligibility:—

(i) a person employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an autonomous Body, established under law for the time being in force, and

(ii) (a) holding an analogous post in the Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs.67000-79000; or

(b) having at least three years' regular service in the Senior Administrative Grade of Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; or

(c) having at least 25 years' regular service in Group 'A' posts in the Pay Band-3 with pay scale of Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400 and above out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000; and

(iii) has at least eighteen years experience in the field of the Public Administration and Management.";

(b) for sub-rules (3) and (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) A person shall not be qualified for appointment as Member (Finance) under the Central Staffing

Scheme, unless he is an officer empanelled as Joint Secretary with at least in Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67000—79000 having experience in the field of Finance and Financial Planning:

Provided that in the event of non-availability of suitable officer under Central Staffing Scheme, the appointment to the post of Member (Finance) shall be made after obtaining the recommendations of the Search Committee referred to in rule 3A, as per the following eligibility:---

(i) a person employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an autonomous Body, established under law for the time being in force, and

(ii) (a) holding an analogous post in the Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67000—79000; or

(b) having at least three years' regular service in the Senior Administrative Grade of Pay Band-4 with pay scale of Rs.37400—67000 plus grade pay of Rs.10000; or

(c) having at least 25 years' regular service in Group 'A' posts in the Pay Band-3 with pay scale of Rs.15600—39100 plus grade pay of Rs.5400 and above out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37400—67000 plus grade pay of Rs.10000; and

(iii) has at least eighteen years experience in the field of Finance and Financial Management, preferably having knowledge of financial market and funding of infrastructure projects.".

(c) the sub-rules (5), (6) and (7) shall be re-numbered as sub-rule (3), sub-rule (4) and sub-rule (5) and after so renumbering, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) A person shall not be qualified for appointment as Member (Public Private Partnership) under the Central Staffing Scheme, unless he is an officer empanelled as Joint Secretary with at least in Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs.67000-79000/- having experience in the field of planning, structuring and management of Public Private Partnership projects of infrastructure sector preferably in Highways:

Provided that in the event of non-availability of suitable officer under Central Staffing Scheme, the appointment to the post of Member (Public Private Partnership) shall be made after obtaining the recommendations of the Search Committee referred to in rule 3A, as per the following eligibility:—

(i) a person employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an autonomous Body, established under law for the time being in force, and

(ii) (a) holding an analogous post in the Higher Administrative Grade in the pay scale of Rs. 67000—79000; or

(b) having at least three years' regular service in the Senior Administrative Grade of Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37400—67000 plus grade pay of Rs.10000; or

(c) having at least 25 years' regular service in Group 'A' posts in the Pay Band-3 with pay scale of Rs.15600—39100 plus grade pay of Rs.5400 and above out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37400—67000 plus grade pay of Rs.10000; and

(iii) has experience in the field of planning, structuring and management of Public Private Partnership projects of Infrastructure sector, preferably in the highways.".

[F. No. A-12025/31/2013-E-II (B)]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note. —The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R. 631(E), dated the 12th October, 2006, number G.S.R. 549(E), dated the 24th July, 2009, number G.S.R. 711 (E), dated the 30th September, 2009, number G.S.R. 483(E), dated the 8th June, 2010, number G.S.R. 5(E), dated 10th January, 2012 and number G.S.R.604 (E), dated 21st August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.